दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, ए-25/27 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

निऑन साइन पॉलिसी

बीमाकृत व्यक्ति ने एक ऐसे हस्ताक्षरित प्रस्ताव और घोषणा द्वारा जो इस संविदा के आधार होंगे, और इसमें सम्मिलित समझे जाएंगे, इसमें इसके पश्चात् अनविष्ट बीमा के लिए और ऐसे बीमा के प्रतिफल स्वरुप प्रीमियम का भुगतान करके या भुगतान करने का करार करने, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को (जिसे इसमें इसके स्वरुप पश्चात् कंपनी कहा गया है) आवेदन किया है।

अब यह पालिसी इस बात की साक्षी है कि अवधि के दौरान या किसी पश्चातवर्ती अवधि के दौरान जिसके लिए कंपनी लिए कंपनी ने नवीकरण प्रीमियम स्वीकार किया है कंपनी इसमें अन्तर्विष्ट या इस पर पृष्ठांकित या अन्यथा अभिव्यक्त निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, बीमाकृत व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए क्षतिपूर्ति करेगी :-

इस अनुसूची में वर्णित संस्थान या उसके भाग को जब वह अपने स्थान पर हो :

(क) अक्स्मात बाहरी साधनों द्वारा

(ख) अग्नि बिजली बाहरी विस्फोट या चोरी द्वारा हुई हानि या नुकसान।

अपवर्जन

कंपनी इस धारा के अधीन निम्नलिखित की बावत भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा।

(1) किन्हीं बल्वों और टयुबों का फ्यूज होना या जल जाना जो शार्ट सर्किट होने या आर्किंग या कोई अन्य यांत्रिक या बिजली की खराबी या भंग होने से हुआ हो।

(2) मरम्मत, सफाई, हटाने या परिनिर्माण, टूट-फूट मूल्यह्रास या बिगाड़,

(3) टयूबों को नुकसान जबकि कांच न टूट गया हो,

(4) अधिक विद्युत प्रवाह, अधिक गर्म हो जाना या दबाव पड़ना,

(5) मौसम सम्बन्धी परिस्थितियां,

(6) किसी भी प्रकार से हुई परिणामिक हांनि,

(7) कोई ऐसी दुर्घटना, हांनि, नुकसान और/या देयता जो प्रत्यक्ष अव्यवहित या व्यवहित कारण से बाढ़, तुफान, प्रभंजन, बवंडर, ज्वालामुखी फटने, भुकम्प या अन्य प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध

आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्यवाही (चाहे वह युद्ध की घोषणा के पहले की हो या पश्चात् की हो) गृह युद्ध हडताल या दंगा, सिविल, अशांति, सैन्य विद्रोह, बगावत, सैन्य शक्ति या हाथियाई गई शक्ति से हुई हो या उससे होनेका पता चलता हो, उससे उदभूत हो या उसके सम्बन्ध में हुई हो या उक्त घटनाओं में से किसी घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप हुई हो और इसके अधिक किसी एक ही दशा में बीमाकृत व्यक्ति यह साबित करेगा कि दुर्घटना, हांनि, नुकसान और/या देयता किसी प्रकार भी उक्त घटनाओं से न तो सम्बंधित है और न किसी कारण या उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न हुई है स्वतंत्र रुप से हुई है और उक्त घटनाओं में किसी घटना से या उसके परिणामस्वरुप किसी भी रुप में न ही सम्बंधित थी न उनके द्वारा हुई थी या उसमें सहायक हुई थी या उससे होने का पता चला था और ऐसे सबूत के न दिये जाने पर कंपनी ऐसे की बाबत कोई भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगी।

(8) किसी भी प्रकार की कोई विधिक देयता जो आयनीकरण विभाग या किसी परमाणु ईधन से या परमाणु ईंधन के जलाने से प्राप्त परमाणु अपवय से रेडियो धर्मिता द्वारा दूषण के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से हुई या उसमें सहायक हुई या उसमें उद्भूत हुई है।

शर्तें

1. पालिसी निम्नलिखित दशा में रद्द् मानी जायेगी :-
   (क) यदि प्रस्ताव में कोई अयर्थाथ कथन किया गया है या यदि प्रस्ताव में किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया है।
   (ख) यदि बीमा किए जाने के पश्चात किसी भी रुप में जोखिम में परिवर्तन किया गया है किन्तु, जब तक कि कंपनी पे लिखित रुप में अपनी सहमति दे दी हो।
2. ऐसी कोई दुर्घटना या हानि या नुकसान होने पर जिससे कोई दावा उत्पन्न होने की संभावना हो, उसकी सूचना कम्पनी को लिखित रुप में तुरन्त दी जाएगी और उसके पश्चात बीमाकृत व्यक्ति सभी ऐसी जानकारी और सहायता देगा जिसकी कंपनी अपेक्षा करे। ऐसी चोरी या अन्य आपराधिक कार्य की दशा में जो इस पालिसी के अधीन किसी दावे विशेष वस्तु हो सकता है, बीमाकृत व्यक्ति पुलिस को तुरन्त सूचना देगा और अपराधी की दोषसिद्धि के लिए कंपनी के साथ समयोग करेगा। कंपनी निआन साइन या उसके भाग की अपने विकल्प पर मरम्मत कर सकता है, उसे पुन:स्थापित या प्रतिस्थापित कर सकता है या हानि या नुकसान की रकम का नकद भुगतान कर सकता है और कंपनी की देयता नुकसान हुए या खो गए भागों के वास्तविक मूल्य और फिटिंग के उचित खर्च से अधिक नहीं होगी और अनुसूची में विनिर्दिष्ट देयता की सीमा से अथवा हानि या नुकसान के समय निआन साइन के मुल्य से, इसमें जो भी हो, किसी भी दशा में अधिक में नहीं होगा।

4. बीमाकृत व्यक्ति निआन साइन को हांनि या नुकसान से बचाए रखने और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी उचित उपाय करेगा और कंपनी को निआन साइन या उसके किसी भाग जांच करने के लिए सभी समय अवधि एवं पूर्ण पहूंच होगी। किसी दुर्घटना की दशा में और नुकसान या हानि को रोकने के लिए समुचित पुर्वोपाय किये जाने चाहिए। इस अनुसूची में वर्णित निआन साइन की जांच और निरिक्षण किसी अर्हित बिजली मिस्त्री और इंजिनियर द्वारा अधिक से अधिक छह मास के नियमित अन्तराल पर किया जाना आवश्यक है और कंपनी को उसकी यह रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए तुरन्त प्रस्तुत की जानी चा हए कि उक्त निआन साइन अच्छी चालू हालत में है और उसे उसके फ्रेम में समुचित रुप से जोड़ी और लगाया गया है। कंपनी बीमाकृत वयक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री पत्र द्वारा की सूचना भेजकर इस पालिसी को रद्द कर सकती है और ऐसी दशा में भुगतान किए गए प्रीमियम में से उतनी अवधि का आनुपातिक भाग कम करके जितनी अवधि तक यह पालिसी प्रवृत्त रही है, बीमाकृत व्यक्ति को प्रीमियम लौटा देगी अथवा बीमाकृत व्यक्ति सात दिन की सूचना देकर किसी भी समय पालिसी रद्द कर सकता है और बीमाकृत व्यक्ति पालिसी के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए कंपनी की लघु अवधि दरों पर प्रीमियम घटाकर शेष प्रीमियम वापस पाने का हकदार होगा (परन्तु यह जब कि बीमा की तत्समय चालू अवधि के दौरान कोई दावा उत्पन्न न हुआ हो)

7. यदि इसके द्वारा बीमाकृत संपत्ति किसी हानि, विनाश या नुकसान होने के समय उस पर बीमा की गई राशि से कुल मिलाकर अधिक मुल्य की है तो इन दोनों के बीच के अन्तर के लिए बीमाकृत व्यक्ति को स्वंय का बीमाकृत माना जाएगा और वह हानि का आनुपातिक भाग तदनुसार वहन करेगा। यदि पालिसी की एक से अधिक मदें तो, प्रत्येक मद पर शर्त अलग-अलग लागू होगी।

8. यदि ऐसी किसी दुर्घटना के होने के समय जिसको लेकर यह पालिसी लागू होती है, उसकी बाबत कोई अन्य क्षतिपूर्ति है या क्षतिपूर्तियां लागू है, भले वह या वे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य वयक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लागू की गई है तो कंपनी ऐसी दुर्घटना की बाबत भुगतान की जाने वाली किसी धनराशि के आनुपातिक भाग से अधिक का भुगतान या अधिदाय करने के लिए दायी नही होगी।

9. अगर किसी हांनि या क्षति की रकम के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसा मतभेद, अन्य सभी प्रश्नों से अलग करके यह वियाचक के निर्णिय के लिए भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति मतभेद वाले दोनों पक्ष लिखित रुप में करेंगे या अगर वे एक वियाचक पर सहमत नहीं होते तो वह मतभेद विवाचक के रुप में दो तटस्थ व्यक्तियों के निर्णय के लिए भेजा जाएगा जिन्हें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रुप में वैसा करने के लिए कहे जाने के बाद दो कैलेंडर महीनों के अन्दर क्रमश: दोनों पक्ष अपनी अपनी और से लिखित रुप में नियुक्त करेंगे। यदि कोई पक्ष नियुक्ति की

आवश्यकता के बारे में लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद दो कैलंडर महीनों के अन्दर एक विवाचक नियुक्त नहीं कर पाता या नियुक्त करने से इंकार कर देता है, तो उस स्थिति में दूसरा पक्ष एक मात्र विवाचक नियुक्त करने को सवतंत्र होगा और विवाचकों के बीच असहमति की स्थिती में मतभेद एक अधिनिर्णायक के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जो कि इस विषय में आने से पहले उनके द्वारा लिखित रुप में नियुक्त किया गया हो, और जो विवाचकों के साथ बेठेगा और उनकी बैठकों की अघ्यक्षता करेगा किसी पक्ष की मृत्यु हो जाने से क्रमश: विवायक, विवाचकों या अधिनिर्णायक का प्राधिकार या शक्तियां रद्द या प्रभावित नहीं होंगी और किसी विवाचक या अधिनिर्णायक की मृत्यु होने की स्थिति में प्रत्येक मामले में उसके स्थान पर उस पक्ष या विवाचक (जैसी भी स्थिती हो) द्वारा दूसरा विवाचक या अधिनिर्णायक नियुक्त किया जायगा, जिसने की यह विवाचक या अधिनिर्णायक का प्राधिकार या शक्तियां रद्द या प्रभावित नहीं होंगी और किसी विवाचक या अधिनिर्णायक की मृत्यु होने की स्थिति में प्रत्येक मामले में उसके स्थान पर उस पक्ष या विवाचक (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा दूसरा विवाचक या अधिनिर्णायक नियुक्त किया जायेगा, जिसने की यह विवाचक या अधिनिर्णायक नियुक्त किया था जिसकी मृत्यु हुई है।

उस मामले और अधिनिर्णायक का व्यय अधिनिर्णाय देने वाले विवाचक, विवाचकों या अम्पायर के विवेक पर निर्भर होगा। और इसके द्वारा यह व्यक्त रुप में अनुबंधित किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इस पालिसी पर कार्रवाई या मुकदमा करने के किसी अधिकार की यह पुर्ववर्ती शर्त होगी कि हानि या क्षति की रकम के बारे में ऐसे विवाचक, विवाचकों या अधिनिर्णायक का अधिनिर्णय, अगर विवाद का विषय हो तब भी पहले प्राप्त किया जाएगा।

नोट :- अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्य होगा।